



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या:-A-1/DR(CFO)/S-1/2026

मुख्य अग्निशमन अधिकारी चयन परीक्षा-2026

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	दिनांक 17 मार्च 2026
ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	दिनांक 06 अप्रैल, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क -Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	दिनांक 06 अप्रैल, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु समय अवधि	-	दिनांक 15 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रिंट आउट प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की अन्तिम तिथि	-	दिनांक 11 मई, 2026 (सांय 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है।
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् 06 अप्रैल, 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Detail) के अंतर्गत, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन अवश्य करें। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

4.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। प्रवेश-पत्र पर लिखना तथा प्रवेश पत्र पर लिख कर लाना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं Net Banking/Dabit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाईन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा "Online Application" प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही Online Application की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही Online Application की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।
9.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-15 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
10.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दावित समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आयोग कार्यालय में प्रेषित करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन का अवलोकन कर लें।

11.	<p>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट के साथ ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति (परिशिष्ट-8) पर उपलब्ध चैकलिस्ट के अनुसार) लिफाफे में रख कर सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस (सोमवार से शुक्रवार, समय-09:30 AM से 06:00 PM) में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें। आवेदन-पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा के नाम का अंकन अवश्य करें।</p> <p>यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराए जाते हैं तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।</p>
12.	<p>प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु निर्धारित परीक्षा योजना के लिए <u>परिशिष्ट-01</u>, स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए <u>परिशिष्ट-02</u>, अधिमानी अर्हता हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के लिए <u>परिशिष्ट-03</u>, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-04</u>, न्यूनतम अर्हकारी अंक हेतु <u>परिशिष्ट-05</u>, परीक्षा केन्द्र/नगर के चयन हेतु <u>परिशिष्ट-06</u>, ऊँचाई एवं नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले पर्वतीय प्रमाण-पत्र का प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-07</u>, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु <u>परिशिष्ट-08</u> एवं नाम में भिन्नता के संबंध में स्वघोषणा के प्रारूप हेतु <u>परिशिष्ट-09</u> का अवलोकन करें।</p>
13.	<p>प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है।</p>
14.	<p>प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।</p>
15.	<p>प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः औपबन्धिक होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अन्तिम रूप से चयन के उपरान्त अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।</p>
16.	<p>स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से दैनिक समाचार-पत्रों तथा आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।</p> <p>अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन-पत्र में भरें।</p>
17.	<p>साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में पृथक से दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।</p>

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी (समूह-‘ख’) के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

1. रिक्तियों का विवरण :- 01 पद (उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु)

क्र.सं.	श्रेणी	कुल रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण का विवरण				
			उत्तराखण्ड महिला 30 प्रतिशत	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित 02 प्रतिशत	दिव्यांग 4 प्रतिशत	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे 5 प्रतिशत	भूतपूर्व सैनिक 05 प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	01	—	—	—	—	—

रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नोट: 1. उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48 / XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक-05.06.2023 में उक्त पद का दिव्यांगता की उपश्रेणी हेतु चिन्हांकन अंकित नहीं होने के कारण दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद के सापेक्ष आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तदक्रम में **दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

02.	वेतनमान	:	रु 56,100-1,77,500 / - मैट्रिक लेवल-10
03.	पद का स्वरूप	:	समूह 'ख', राजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त
04.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-	:	नेशनल फायर सर्विस कालेज नागपुर से फायर इंजिनियरिंग में तीन वर्ष की उपाधि या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि। या नेशनल फायर सर्विस कालेज, नागपुर से डिविजनल आफिसर्स कोर्स या सदृश प्रास्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम।
05.	अधिमानी अर्हता-	:	(एक) मोटर गाडियों (ऑटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान। (दो) व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकाण्ड पर काबू पाने का अनुभव। नोट :- उपरोक्त अधिमानी अर्हताओं के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-03 पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराना होगा। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने-: (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।"
06.	न्यूनतम शारीरिक मापदण्ड	:	1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत अपेक्षित हैं:- (क) ऊँचाई-

		<table border="1"> <tr> <th>वर्ग</th> <th>पुरुष अभ्यर्थी</th> <th>महिला अभ्यर्थी</th> </tr> <tr> <td>सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग</td> <td>167.7 से0मी0</td> <td>152 से0मी0</td> </tr> <tr> <td>पर्वतीय क्षेत्र</td> <td>162.6 से0मी0</td> <td>147 से0मी0</td> </tr> </table> <p>(ख) सीने की माप (केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु)</p> <table border="1"> <tr> <th>वर्ग</th> <th>बिना फुलाए</th> <th>फुलाने पर</th> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी</td> <td>76.5 से0मी0</td> <td>81.5 से0मी0</td> </tr> </table> <p>(ग) शारीरिक वजन (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए):- न्यूनतम 45 कि0ग्रा0 ।</p> <p>2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आँख 6/6 व दूसरी आँख में 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दायीं आंख 6/6 और बांये हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बायीं आंख 6/6 होनी चाहिए और वर्णाधता/भैंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए।</p> <p>अभ्यर्थी का सटा घुटना, सपाट पैर, बो लैंग, वैरीकोस वेन, हकलाना, विकलांगता और अन्य विकृतियां व अन्य समस्याएं जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ड्यूटी में किसी प्रकार की बाधा पैदा करें, को अयोग्य माना जाएगा।</p> <p>उक्त के संबंध में चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित प्रतिवेदन में अभ्यर्थी के उपयुक्त होने का प्रमाण दिये जाने पर अभ्यर्थी के अन्तिम रूप से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।</p>	वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी	सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग	167.7 से0मी0	152 से0मी0	पर्वतीय क्षेत्र	162.6 से0मी0	147 से0मी0	वर्ग	बिना फुलाए	फुलाने पर	अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0
वर्ग	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी															
सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग	167.7 से0मी0	152 से0मी0															
पर्वतीय क्षेत्र	162.6 से0मी0	147 से0मी0															
वर्ग	बिना फुलाए	फुलाने पर															
अनुसूचित जाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी	76.5 से0मी0	81.5 से0मी0															
07.	आयु सीमा	<p>: आयु सीमा 23 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2026 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 23 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात एवं 02 जुलाई 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।</p>															

08. अधिकतम आयु सीमा में छूट:-

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

- (1) उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु एवं सम्बन्धित उपश्रेणियों हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
- (2) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

(3) शासनादेश संख्या: 17/2/1981—कार्मिक—2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार "उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी—

1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों
2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवा मुक्त हुए हों।"

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

09. आरक्षण :-

प्रश्नगत पद उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। अतः अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-04" में मुद्रित/शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-04" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परीक्षा के आवेदन के साथ मूल रूप में अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी. एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. राष्ट्रीयता :- मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

11. **चरित्र :-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. **वैवाहिक प्रास्थिति :-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जो हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो;

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

13. **शारीरिक स्वस्थता :-** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना न हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय।

14. **ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-**

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात् **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात् **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वॉछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थी **High School** का विवरण भरकर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भरकर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुनः **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् “**I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself**” **declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Proceed Button** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु **Pay Now Button** पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। रद्द किये गये आवेदन-पत्र के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी हेतु कोई शुल्क देय नहीं है किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र पर डाटा भरने के बाद **Final Submit** बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(2) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं। **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

15. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया—

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 15 अप्रैल, 2026 से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 तक प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देशः—

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) Edit/Correction हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वही अभ्यर्थी अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

- (vi) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (vii) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

16. आवेदन शुल्कः— प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका ऑनलाइन आवेदन अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः—

क्र0सं0 (S.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन शुल्क (Application Fee)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fee)	कुल शुल्क (Total Fee)
	उत्तराखण्ड अनसूचित जाति	रु0 60	रु0 16.36	रु0 76.36
	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोटः— विज्ञापित पद केवल उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है।

1. परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा, उसे निरस्त माना जायेगा।
2. जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी का वापस नहीं होगा।

17. **अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022, समय समय पर यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा किन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंको को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा।

स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन किया जायेगा। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny)/अभिलेख सत्यापन संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के आलोक में सम्पन्न किया जायेगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त सूचना डाक द्वारा पृथक से प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल **ukpschelpline@gmail.com** पर मेल कर सकते हैं।

(06) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो उसकी पावती प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित

की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(07) स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(08) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार, नगर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(09) स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के कोई श्रुतलेखक नहीं दिया जायेगा।

(10) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) उत्तर कुंजी आपत्ति— वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(12) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रश्न के अंग्रेजी तथा हिन्दी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जाएगा।

18. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश :-

(01) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

- (02) अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (03) परीक्षा केन्द्र में आचरण- कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
- (04) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गए उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उनके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (06) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (07) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (08) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम(औपबन्धिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो आयोग द्वारा उसका चयन निरस्त करते हुए उसकी संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (09) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (10) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित -2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(11) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(12) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (13) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल तथा संगत प्राविधानों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- (14) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाणपत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (15) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व-प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (16) शारीरिक अर्हता संबंधी मानकों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022** के क्रम में न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची (मेरिट) में रखा जायेगा। अंतिम चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।
- (17) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (18) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (19) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
- शासन/विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियमानुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराया जायेगा। चरित्र सत्यापन पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होने पर अभ्यर्थी का चयन उसी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।
- (20) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (21) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(22) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(23) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

-Sd/
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।

परिशिष्ट-01

परीक्षा योजना

प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष मानक से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है।

(क) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र. सं.	विषय	परीक्षा का प्रकार	प्रश्न संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण	वस्तुनिष्ठ प्रकृति	150	150	2 घण्टे

(ख) साक्षात्कार

100 अंक

नोट:- 1. उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

2. स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंको को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। अंतिम चयन परिणाम हेतु अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम (Merit) का निर्धारण साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

परिशिष्ट-02

स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम

**विषयः सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण
(वस्तुनिष्ठ प्रकार)**

समय-2 घंटे

अधिकतम अंक-150

खण्ड-1 : सामान्य अध्ययन

अधिकतम अंक-100

कुल प्रश्न-100

- 1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी सम्बन्धी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं जिसका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा में विशेष अध्ययन न हो।
- 2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे।
- 3 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे।
- 4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक पारस्थितिकीय और सामाजिक-आर्थिक जनांकिकीय पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे।
- 5 सम-सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न समसामयिक उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे।
- 6 उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका और इससे सम्बन्धित प्रमुख विभूतियाँ, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलन, उत्तराखण्ड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में; विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान; विभिन्न समाज सुधार आन्दोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम।

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति** : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, खान-पान, कला शिल्प ; नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन-स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिन्दी-साहित्य एवं लोक-साहित्य में योगदान, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम।

8 **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनकिकी**: भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी। प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र। सिंचाई के साधन। कृषि जोतें। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन। जल संकट और जलागम प्रबन्धन। दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएँ। पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वर्गीकरण, धनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 **उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश।**

राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश:— उत्तराखण्ड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियाँ, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएँ, प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती-राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता।

प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि — गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ— जिला भूमि प्रबन्धन (थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं सोयम वन केशर हिन्द (बेनाप भूमि) नजूल, नयाबाद बन्दोबस्त)। आधुनिक काल— उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊँ—उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि-सुधार, लैंड टैन्थोर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था। राजस्व पुलिस-व्यवस्था।

आर्थिक परिवेश:— सीमान्त जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकर स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा।

10 **आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन**:— मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवम् प्रमुख शिक्षण संस्थान; वन, जल, जडी-बूटी, कृषि, पशुधन, जल-विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग (लघु व ग्रामीण) संसाधनों के उपयोग की स्थिति।

उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ/आर्थिक क्रियायें एवं इनका राज्य जी0 डी0 पी0 में योगदान, उत्तराखण्ड में विकास की प्राथमिकतायें व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएँ। उत्तराखण्ड में विपणन की सुविधाएँ तथा कृषि मन्डियां, उत्तराखण्ड के बजट की प्रमुख विशेषताएँ।

खण्ड-2 : सामान्य बुद्धि परीक्षण

अधिकतम अंक-50

कुल प्रश्न-50

1 सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

Screening Examination

Subject:: General Studies and General Aptitude Test
(Objective Type)

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 150

Part -1 : General Studies

Maximum Marks-100

Total Questions-100

- 1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline.
- 2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on broad understanding of ancient, mediaeval and modern India's political, social, economic, and cultural aspects and India's Freedom movement, growth of nationalism and attainment of Independence.
- 3 **Indian polity and Economy:** Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, Constitution, Panchayati raj and Community development, broad features of Indian economy and planning.
- 4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological and socio-economic aspects and demography of India.
- 5 **Current Events:** Questions will be based on important Uttarakhand State, National and International current events including games.
- 6 **History of Uttarakand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments; movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in National and International fields, especially in Armed forces; different social reform movements, and different welfare programmes of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women.
- 7 **Culture of Uttarakand:** Castes and tribes, religious and folk beliefs, literature and folk literature, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festiveals, food habits,

art and Crafts, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, State steps taken by Uttarakhand for the development of culture.

8 Geography and Demography of Uttarakhand : Geographical Setup. Salient features of Uttarakhand Himalaya. Rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture. Major crops and crop rotation. Means of irrigation. Agricultural holdings. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management. Problems of remote areas. Environment and environmental movements. Biodiversity and its preservation. Population of Uttarakhand: Classification, density, sex ratio, literacy and out-migration.

9 Economic, Political and Administrative Background of Uttarakhand :

Political and Administrative Background- Elected governments in Uttarakhand and their policies, different services in the State, the political and administrative systems, Panchayati raj, Community development and Co-operatives.

The historical background of the administrative system in Uttarakhand- Land management system under Gorkhas rule and British rule, district land management (Thokdari, van panchayat, civil and soyam forest, Kesar-i-hind(benap land)Nazul, nayabad settlements) Modern period Uttar Pradesh and Uttarakhand-Kumaun land reforms, changes in land tenures and collection of land revenue after the enforcement of Zamindari Abolition Act, revenue police system.

Economic background – Indo-Tibetan trade from border districts, the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic condition of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar systems.

10 Economic and natural resources : Human resources, Education system of the State and important educational institutes; forest, water, herbs, agriculture, animals, hydro electricity, minerals, tourism, industries (Small and Village), the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttarakhand for the eradication of poverty and unemployment and for economic development. Economic activities and their contribution in the State GDP. The priorities of development in Uttarakhand and new strategies of planning and its problems. Marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis. The salient features of the budget of Uttarakhand State.

Part -2 : General Aptitude Test

Maximum Marks-50

Total Questions-50

- 1 General Intelligence:** The questions on general intelligence will cover, both, verbal and non verbal types, including questions on analogies, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationships, arithmetical computations and other analytical functions.

“परिशिष्ट-03”
Experience Certificate

FORMAT



Name of Deptt./Office :

Address of Deptt./Office :

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust :

Telephone No. :

Website :

Ref. No. -

Dated :

This is to certify that Shri/Smt./Km. Son/Daughter/Husband of Shri/Smt..... is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Name & Signature of Candidate :

Sign

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

नोट:- 1. दावित अधिमानी अर्हता के संबंध में परिशिष्ट-03 के प्रारूप पर प्रमाण पत्र में संदर्भ संख्या, दिनांक, सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर तथा दावित अधिमानी अर्हता का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है।

परिशिष्ट-04
उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की

.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारीतथा अथवा

उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसीलनगरजिला

..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

परिशिष्ट-05

मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा-2026 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र० सं०	आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी	स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	साक्षात्कार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
3.	अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	25%	35%

नोट :: 1. अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता-सूची (Merit) हेतु विचारित किया जायेगा।

2. स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंको को साक्षात्कार परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा।

3. अंतिम प्रवीणता सूची (MERIT) का निर्धारण साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाएगा।

परिशिष्ट-06

मानक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित कराए जाने की दशा में परीक्षा का आयोजन निम्न नगर में किया जाएगा।

क्रम सं०	नगर
1	हरिद्वार

परिशिष्ट-07

शासनादेश संख्या-256 / 18-प्रा0शि0-2-88-20 / 82, दिनांक 16.07.1982

ऊँचाई एवं नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री
श्री / श्रीमती.....ग्राम.....तहसील / तालुका.....
.....जिला.....राज्य.....के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कीमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

पदनाम

पदनाम की मुहर

नोट: कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

परिशिष्ट-08

मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा-2026

Check List

पदनाम – मुख्य अग्निशमन अधिकारी

अनुक्रमांक-

क्र०सं०	विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01.	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति	
02.	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र	
03.	हाईस्कूल अंकतालिका	
04.	दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष अंतिम वर्ष की अंकतालिका (विज्ञापन के बिन्दु सं० 4 के अनुसार)	
04.	दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि (विज्ञापन के बिन्दु सं० 4 के अनुसार)	
05.	अधिमानी अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र (1) मोटर गाडियों (ऑटोमोबाइल) की मरम्मत करने का ज्ञान। (परिशिष्ट-03 पर उपलब्ध प्रारूप पर) (2) व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकाण्ड पर काबू पाने का अनुभव।(परिशिष्ट-03 पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
06.	अधिमानी अर्हता:- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा सम्बन्धी प्रमाणपत्र (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र	
07.	अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र	
08.	मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र	
09.	पर्वतीय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (परिशिष्ट-07 पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
10.	केन्द्र एवं राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्य प्रतिलिपि।	
11.	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (परिशिष्ट-09 पर उपलब्ध प्रारूप पर)	
12.	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन हेतु पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि मूल रूप से तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति।	

नोट- (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

(2) उक्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट एवं इस चैकलिस्ट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....

परिशिष्ट-09

नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में स्वघोषणा

मैं -----(नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे हाईस्कूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र में मेरा/पिता/माता का नाम----- अंकित है जबकि निम्नलिखित अभिलेखों में मेरे/पिता/माता के नाम में भिन्नता विद्यमान है।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

उक्तांकित दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक

परीक्षा का नाम
